No 4893

सत्यमेव जयते

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 339

वर्ष 1993-1994

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच, डालटनगंज

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख चौबीस मास अगस्त वर्ष उन्नीस सौ तिरानबे को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR
बिहार महानिरीक्षक निबन्धन का कार्यालय
बिहार

28.2.93

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना

बि०स०मु०(निबन्धन) 1—II—10,000—29-5-1986—के० लाल

(10)

7 Rs

"ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच, डाल्टेनगंज

की

नियमावली

=======

1. परिभाषा:-

क. संस्था से अभिप्राय है ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच डाल्टेनगंज

ख. समिति से अभिप्राय है कार्यकारिणी समिति ।

ग. पदाधिकारी उसे अभिप्राय है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष

घ. वर्ष से अभिप्राय है वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक एवं कलेन्डर वर्ष पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक ।

ड. ऐक्ट से अभिप्राय है सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860

2. सदस्यता:-

कोई भी व्यक्ति जो संस्था उद्देश्य एवं नियमों को मानें एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क देकर संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र 6 वर्ष से कम नहीं हो, विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायगी। प्रत्येक सदस्य को 11 रुपया प्रवेश शुल्क एवं 51 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा। संस्थान में तीन प्रकार के सदस्य होंगे:-

विशिष्ट सदस्य:-संस्थान द्वारा समाज के किसी भी व्यक्तियों को सदस्य की सदस्यता प्रदान की जायगी ।

साधारण सदस्य:-उपरोक्त नियमों एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क देने वाले व्यक्ति को साधारण सभी को सदस्यता प्रदान की जायगी एवं सदस्य को मतदान में समय मत देने का अधिकार होगा ।

3. सदस्यता की समाप्ति:-

क. स्वयं त्याग पत्र देने पर

ख. पागल या मृत्यु होने पर

ग. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर

घ. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर

ङ. बिना कारण बताए समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

च. लगातार तीन वर्षों तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर

छ. संस्था के नियम के विरूद्ध कार्य करने पर।

नोट:- सदस्यता समाप्ति के पूर्व संबंधित सदस्यों एवं पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण संस्था के सचिव के द्वारा प्राप्त किया जायगा। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने पर कार्यकारिणी समिति के सहमति से सदस्यता की समाप्ति की जायगी।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन:-

क. कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित नौ सदस्य होगें।

ख. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव प्रति पांच वर्ष पर आम सभा द्वारा किया जायगा।

ग. समिति का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को समिति मनोनीत कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
बिहार महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय
बिहार
BIHAR

5. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य:-

क. संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगें।

ख. संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव करना।

ग. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

घ. उप समिति का संचालन करना।

ङ. वार्षिक आय व्यय का प्रारूप तैयार करना।

च. सभी प्रकार के वैधानिक कार्यों का सम्पादन करना।

6. पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार:-

संरक्षक:-

क. दिशा निर्देश।

अध्यक्ष:-

क. सभा की अध्यक्षता करना।

ख. कोरम पूर्ति हेतु एक निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनका काम करना।

सचिव:-

क. बैठक का आयोजन करना।

ख. बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग. पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना ।

घ. संस्था की ओर से पत्राचार करना।

ङ. आवश्यकतानुसार समिति की बिना पूर्व अनुमति से एक हजार रुपया तक व्ययकरना

च. कर्मचारी तथा कार्यकर्ता की नियुक्ति करना एवं पदच्युत करना ।

छ. कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष:-

क. संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना

ख. सदस्यता शुल्क एवं राशि प्राप्त कर रसीद देना।

ग. संस्था के आय व्यय लेखा का अंकेक्षण करना।

घ. संस्था के नाम प्राप्त आयको किसी बैंक या डाकघर में जमा करना।

7. कोष की व्यवस्था:-

संस्था के नाम प्राप्त आय को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायगा तथा इसकी निकासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से रकम की निकासी की जायगी ।

8. आम सभा के कार्य एवं अधिकार:-

क. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

ख. संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना।

ग. अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ. सभा की राय से अन्य विषय पर विचार करना।

ङ. अन्य वैधानिक कार्यों को करना।

9. मतदान की प्रक्रिया:-

संस्थान के पदाधिकारियों का चुनाव आम सभा में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उस दिन की अध्यक्षता हेतु सर्वसम्मति से चुना जायगा. और उन्हीं की देख-रेख में संस्थान के पदाधिकारियों का चुनाव सम्पन्न होगा मत प्राप्ति की अवस्था में अध्यक्ष हो चुने गये अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा जो सर्वमान्य होगा चुनाव मतदान एवं हाथ उठाकर भी सम्पन्न किया जायगा ।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
बिहार
BIHAR

10. बैठक:-

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में दो बार होगी ।

ख. आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में होगी ।

ग. विशेष या अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

घ. किसी भी प्रकार बैठक विधि सम्मत होगी ।

11. अभियाचिक बैठक:-

एक तिहाई सदस्यों को लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अतः सचिवउक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं। बैठक आयोजनकरने के लिए सभी सदस्यों को विधिवत सूचना देनी होगी ।

12. बैठक की सूचना:-

क. कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात-सात दिन पूर्व ही दी जायगी।

ख. आम सभा की बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व दी जायगी ।

ग. आवश्यक बैठक की सूचना अड़तालिस घंटे पूर्व दी जायगी ।

घ. बैठक की सूचना पंजी द्वारा विशेष दूत या निबंधित डाक द्वारा दी जायगी।

13. कोरमपूर्ति:-

प्रत्येक बैठक काकोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होजायगी और पुनः स्थगित हो जायगी और पुनःस्थागत बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

14. आय का स्रोत:-

क. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क

ख, दान अनुदान एवं ऋण

ग. विशेष शुल्क एवं चन्दा

घ. सरकारी अनुदान ।

15. नियमावली में संशोधन:-

नियमावली में कोई भी संशोधनआम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पारित करने पर ही किया जा सकता है ।

16. निधि का अंकेक्षण:-

संस्था का आय व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जायगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रति वर्ष अंकेक्षित कराया जायगा।

17. पंजी का निरीक्षण:-

संस्था के सभी पंजियां निबंधित कार्यालय में रहेगी जहां कोईभी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी कार्यवाही पंजी [illegible] पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

18. कानूनी कार्रवाई:-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी, इसका देख-रेख संस्था के सचिव के द्वारा की जायगी। अध्यक्ष की राय से अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकारहोगा।

19. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था:-

क. अगर संस्था का विघटन किसी कारणवश करना पड़े तो आम सभा के 3/5सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर किया जायगा।

ख. विघटन के पश्चात ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्यों या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायगी। बल्कि आम सभा के3/5 सदस्यों की सहमति से समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी।

हम प्रमाणित करते हैं कि नियमावली का उपउल्लेख किया गया है वह इस संस्थान केन्द्र के नियमावली का सही प्रतिलिपि है।

ह0/मो0 नईमुद्दीन अंसारी	ह0/भुनेश्वर पासवान	ह0/दामोदर यादव
सचिव	अध्यक्ष	उपसचिव

==================================

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार।

टंकित किया-सिंह
पढ़ा-
तुलना किया-

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
बिहार
BIHAR

14 7 Rs

INDIA

सात रुपये सात रुपये

सत्यमेव जयते

SEVEN RUPEES भारत SEVEN RUPEES

"ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच डाल्टनगंज"
का
स्मृति-पत्र
==============

1. संस्थाका नाम:- ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच डाल्टेनगंज

2. निबंधित कार्यालय:- साह मुहल्ला पुराना गढ़वा रोड डाल्टनगंज, पो0-डाल्टनगंज जिला पलामू रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर नियमानुकूल संशोधन किया जा सकता है ।

3. कार्यक्षेत्र:- इस मंच का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा ।

उद्देश्य:-

क: ग्रामीण जनता को संगठनात्मक स्वैच्छिक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामोत्थान का कार्य करना एवं करवाना ।

ख: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, मूकबधिरों एवं अपंगों जैसे मानव विकास कार्य करना। विकलांगों के लिए समुचित शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, शुद्ध पेयजल, आवागमन आदि का व्यवस्था करना ।

ग: गांव में आपसी भाईचारे सदभावना जागृति करने हेतु लोगों को संगठित करना एवं गांवों के प्रति विकास कार्यक्रम संचालन करना ।

घ: गांव में विकास के लिये शुद्ध पेयजल को व्यवस्था हेतु चापाकल, हैंडपम्प, कुँआ, तालाब, नहर आदि को व्यवस्था करना तथा इसकार्य के लिए गांवों के जनता को संगठित करना एवं कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाना ।

ङ: गाँवों को साफ-सुथरा रखने के लिए केन्द्रीय, ग्रामीण कार्यक्रम का संचालन करना। इसके तहत नाला, गली, सड़क, सुलभ शौचालय, स्नानागार, धोबी घाट आदि को व्यवस्था करना ।

च: प्राणिकी सम्पदा को रक्षा हेतु लोगों में जागृति पैदा करना। वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए उपाय करना तथा हर एक व्यक्ति एक पौधा लगाने का कार्यक्रम चलाना ।

छ: निरक्षरता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा का प्रचार-प्रसार हेतु नारी शिक्षा,

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय
बिहार
BIHAR

प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा का स्थापना हेतु लोगों को
तैयार करना तथा उक्त दिशा में प्रयास करना ।

ज: समाज में फैले हुए कुरीतियों के निराकरण हेतु समाज सुधार को, ग्रामीणजनताओं
को जागृत करना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना। इससे संबंधित वाद विवाद सभा
सम्मेलनगोष्ठी का आयोजन कर समाज में बढ़ रहे नशाखोरी बाल-विवाह, दहेज,
प्रथा का रोकथाम काकार्यक्रम चलाना ।

झ: समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के गरीबी उन्मूलन हेतु छोटे-छोटे उद्योग
धंधों के प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करना एवं लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग को
स्थापना कर लोगों को लाभान्वित करना ।

ट: प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, अकाल, अगलगी, सुखाड़, महामारी आदि से उत्पीड़ित
लगाकर राहत कार्यक्रम का संचालन करना तथा वहाँ पर टीकेकरण की व्यवस्था
करना साथ ही दावा, भोजन, वस्त्र, आवास की आपूर्ति करना एवं करवाना।

ठ: महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकारी
-कारोहस्त शिल्प, चित्रकारी, गुड़िया बनाना, स्वेटर बुनाई, नोटिंग, फैब्रिक,
आदि का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार कार्यक्रम का संचालन करना एवं कराना।
परिवारनियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का संचालन कर लोगों में जागृति
पैदा करना तथा उस दिशा में प्रयास करना ।

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय
बिहार
BIHAR

ड: ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु के०आई०एस०एस० कृषक
इंडिया सिक्योरिटी सर्विस के तहत निबंधित कर प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने
हेतु सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों, इत्यादि द्वारा प्रयत्नशील रहना
हेतु सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों, इत्यादि द्वारा प्रयत्नशील रहना

ण: कृषि से संबंधित सामग्रियों अर्थात उन्नत बीज, औजारों, दवाओं का प्रबंध करना
उचित मूल्य पर कृषकों को इन सामग्रियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना
आधुनिक ढंग से कृषि कार्यक्रम का संचालन हेतु कृषकों को प्रशिक्षित करना। मिट्टी
की जांच हेतु शोध संस्थान की स्थापना करना, उपजे हुए अनाजों को रख-रखाव
हेतु भण्डारण मंडी आदि की व्यवस्था करना ।

त: राज्यों कृषि विकास हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक
सुविधा एवंसरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को किसानों को सीधे पहुँचाने एवं
ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था करना ।

थ: खादी ग्रामोद्योग एवं खादी बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों की स्थापना करना
एवं करवाना। खादी से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना एवं बिक्री केन्द्र
खोलना । कच्चे माल की खरीद एवं बिक्री की व्यवस्था करना तथा झोपड़ियों
का वातावरण में सुधार लाते हुए झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का विकास करना।

और बाजार में साग-सब्जियों, फल-फलहारी आदि का बिक्री हेतु, गरीब मजदूरों निःसहायों आदि को उनका उचित हक दिलवाने हेतु व्यवस्था करना एवं करवाना ।

ट: ग्रामीणों में राष्ट्रीय भाषा एवंभारतीय भाषाओं के लिए कार्य करना ।

ठ: गरीब एवं निःसहाय महिलाओं एवं पुरुषों को पापड़, तिलौड़ी, दोंगा, बेंत एवं प्लास्टिक की टोकरी, चरखा एवं कुर्सी अन्य फर्नीचर का प्रशिक्षण देना तथा मोमबत्ती, अगरबत्ती, टेंट की स्थापना करना एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

ड: ग्रामीणों में पशु पालन एवं नस्ल सुधार के विकास के लिए कार्य को प्रचारित करना ।

ढ. शिविर प्रचार एवं सभाओं को आयोजन कर लोगों में सामाजिक चेतना जागरण करना ।

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है, कार्यकारिणी के सदस्य होंगे तथा इनके ऊपर संस्था के नियमानुसार प्रबंधन का भार रहेगा :-

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
BIHAR

क्र0 नाम पिता का नाम	पता	पद	पेशा
1. श्री लक्ष्मी नारायण दुबे स्व0 पिता ननकेश्वर दुबे	ग्राम पो0 हमीदगंज डालटनगंज, पलामू।बिहार।	संस्था का सरपरस्त रहेंगे	समाजसेवा
2. श्री इम्तेयाज अहमद खाँ पिता अनवरअहमद खाँ	ग्राम पो0 गुरहा मनातु, पलामू, ।बिहार।	अध्यक्ष	"
3. श्री भुवनेश्वर पासवान स्व0 पिता सुखदेव पासवान	ग्राम पो0 बलिआरी मझिआंव गढवा।बिहार।	उपाध्यक्ष	"
4. श्री मो0 महबूदीन अंसारी पिता स्व0 हाजी मो0 अली	ग्राम कजरू कला, पो0कजरू	सचिव	"
5. श्री दामोदर यादव पिता छटन यादव	ग्राम गुआ सरई, पो0 रतनाग, विश्रामपुर, पलामू बिहार	उपसचिव	"
6. श्री शमीरुद्दीन पिता स्व0 हाजी मो0अली	शाह मुहल्ला, पुराना गढवा रोड, डालटनगंज पलामू ।	कोषाध्यक्ष	"
7. श्री चौधरी उरांव पिता श्री बुधु उरांव	ग्राम करठिया, पो0बेलचम्पा गढवा।बिहार।	सदस्य	"
8. श्री शिवराम बड़ाईक पिता श्री चरकु बड़ाईक	ग्राम-रामबहार, पो0ठेठाई टांगर, जिला गुमला।बिहार।	"	"
9. श्रीमती सीतादेवी पिताश्री शिवरा बड़ाईक	ग्राम संगाबोच, महल्लाबगैचा टोला, पो0अंगाबोच. ठेठइटांगर गुमला ।	"	"

(11)

5. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता जिनका नाम, पिता, पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार निबंधन के आकांक्षी हैं ।

क्र.सं0 नाम/पिता का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1. श्री लक्ष्मी नारायण दुबे पिता नन्केश्वर दुबे	ग्राम पो0-हमीदगंज डालटनगंज, पलामू बिहार।	संस्था का सरपरस्त	लक्ष्मी ना0 दुबे
2. श्री इम्तियाज अहमद खाँ पिता अनवर अहमद खाँ	ग्राम पो0 गुरहा मनातु पलामू। बिहार।	अध्यक्ष	इम्तियाज अहमद खाँ
3. श्री भुवनेश्वर पासवान पितास्व0 सुखदेव पासवान	ग्राम पो0 बलिआरी मझिआंव, गढ़वा। बिहार।	उपाध्यक्ष	भुवनेश्वर पासवान
4. श्रीमो0 नईमुद्दीन अंसारी पितास्व0 हाजी मो0 अली	ग्राम कजरु कलां, पो0 कजरु खुर्द, बिश्रामपुर, पलामू बिहार ।	सचिव	मो0 नईमुद्दीन अंसारी
5. श्री दामोदर यादव पिता छटन यादव	ग्राम गुआ सरई, पो0 रतनाग बिश्रामपुर, पलामू, बिहार	उपसचिव	दामोदर यादव
6. श्री बशीरूद्दीन पिता स्व0 हाजी मो0अली	शाह मुहल्ला, पुराना गढ़वा रोड, डालटनगंज, पलामू	कोषाध्यक्ष	बशीरूद्दीन
7. श्री चौधरी उरांव पिता श्री बुधु उरांव	ग्राम करठिया, पो0 बेलचम्पा, गढ़वा, बिहार	सदस्य	चौधरी उरांव
8. श्री बिसराम बड़ाईक पिता श्री चरकु बड़ाईक	ग्राम ठेठाई टांगर जिला गुमला। बिहार।	सदस्य	बिसराम बड़ाईक
9. श्रीमती सीता देवी पिता श्री बिरसा बड़ाईक	ग्राम-संगाबोच मुहल्ला बयेरी, टोला पो0 संगाबोच, ठेठाई टांगर गुमला ।	सदस्य	श्रीमती सीता देवी

प्रमाणित करता हूँ कि सारे सदस्य मेरे सामने हस्ताक्षर किया ।

ह0/ अस्पष्ट

27.7.93

मुहर

==============================

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

28.7.93

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार।

टंकित किया- सिंह

पढ़ा-

तुलना किया-

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION BIHAR